राजस्थान – सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःएफ1( )स्था / निकाशि / परिपत्र / 12 / 477 दिनॉकः 7/04/2012

1–समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

2–समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
कालेज शिक्षा, राजस्थान ।

3–प्राचार्य,
राजस्थान स्कूल आफ आर्ट,
जयपुर ।

4–प्राचार्य,
राजस्थान संगीत संस्थान,
जयपुर ।

विषयः– प्राचार्यो द्वारा ग्रीष्मावकाश अवधि में मुख्यालय पर रूककर राजकार्य करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय परिपत्र सं0 एफ. 1(188)स्था / निकाशि / 76 / 4631 दि0 18–7–11 द्वारा समस्त प्राचार्यो को ग्रीष्मावकाश अवधि में मुख्यालय पर रूककर राजकार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करते हुए लिखा गया था कि वे हर वर्ष 31 जुलाई से पूर्व ही ग्रीष्मावकाश अवधि में राजकार्य करने के एवज में नियम 92(बी) के तहत उपार्जित अवकाश का लाभ चाहने संबंधी भेजे जाने वाले प्रार्थनापत्र व अन्य वांछित कागजातो के साथ ही सक्षम अधिकारी के आदेशों की प्रति(जिसके अन्तर्गत ग्रीष्मावकालीन अवधि में कार्य किया) भी संलग्न करें। अब शैक्षणिक सत्र 2011–12 का ग्रीष्मावकाश माह मई व जून, 2012 में होने वाला है। अतः समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता हैं कि वे शैक्षणिक सत्र 2011–12 की ग्रीष्मावकाश अवधि में मुख्यालय पर रूककर राजकार्य करने से पूर्व निदेशालय की सक्षम स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त करें ।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

निदेशक कॉलेज शिक्षा
एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि श्री धीरेन्द्र देवर्षि, नोडल अधिकारी वेब साईट को प्रेषित कर लेख है कि वे इस परिपत्र को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।